# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

---

प्र.सं. 06/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/21
पायल निवासी वार्ड नं. 23, यादव इलैक्ट्रिक वाली गली, अग्रवाल मोहल्ला अनूपगढ़
बनाम
राज्य लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 08.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के पत्रांक/एसपीआईओ/आरटीआई/2024/41 दिनांक 01.03.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को कार्यालय के पत्रांक/एफ.40(18)(32)/आरटीआई/2023–24/20 दिनांक 09.02.2024 द्वारा ऑफलाईन हस्तांतरित कर सूचना प्रार्थी को पत्रांक/21 दिनांक 09.02.2024 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई हैं।

उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ से जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक/आरटीआई/315 दिनांक 07.05.2024 द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदक का आवेदन तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ से संबंधित होने के कारण पत्रांक/आरटीआई/67 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ को हस्तांतरित किया गया।

इस पर तहसीलदार अनूपगढ़ से जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2024/2069 दिनांक 04.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी। भूमि तहसील कार्यालय की होने के कारण कार्यालय के पत्रा संख्या भूअ./2024/1986 दिनांक 28.06.2024 के द्वारा चक 7 पीजीएम की भूमि जिस पर पैट्रोल पम्प हेतु एन.ओ.सी. चाही जा रही है से संबंधित भूमि की सूचना नजरी नक्शा एवं जमाबंदी प्रार्थी को डाक के पते पर भिजवा दी गई हैं। तहसीलदार के द्वारा प्रतिवेदन के साथ सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किये जाने संबंधित पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं।

अतः चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी हैं तथा अपीलार्थी द्वारा सूचना के बावजूद उपस्थित होकर कोई एतराज एवं आपत्ति दर्ज नहीं करवायी हैं। ऐसी स्थिति में अपील खारिज की जानी उचित हैं। प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया हैं कि लोक सूचना अधिकारीयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया हैं। लोक सूचना अधिकारियों को चाहिए था कि यदि अपीलार्थी का आवेदन उनसे संबंधित नहीं था तो वे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत पांच दिवस में संबंधित लोक प्राधिकारण को आवेदन हस्तांतरित करते परन्तु प्रकरण में पांच दिवस में आवेदन हस्तांतरित नहीं कर अधिक समय आवेदन हस्तांतरण में लिया गया हैं। भविष्य में निश्चित समयावधि में प्राप्त आवेदन पत्र पर निर्धारित समयावधि में विनिश्चिय पारित किये जाने हेतु लोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। साथ ही लोक सूचना अधिकारियों राज्य लोक सूचना अधिकारी

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

कलैक्ट्रेट(अति. जिला कलक्टर) अनूपगढ़, उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र पर विनिश्चय पारित करते हुए निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट(अति. जिला कलक्टर) अनूपगढ़, उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, तहसीलदार अनूपगढ़ को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़